टेलीफोन वार्ता को चोरी से सुने जाने संबंधी केन्द्रीय जांच ब्यूरो का प्रतिवेदन

699. डा रत्नाकर पाण्डेय :
श्री चिमनभाई मेहता :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय मोर्चा सरकार के शासन काल मे वर्तमान प्रधानमंत्री के टेलीफोनो को चोरी मे सुने जाने के संबध मे केन्द्रीय जाच ब्यूरो ने अपना प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत कर दिया है, औ

(ख) यदि हा, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री और संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जय प्रकाश) : (क) जी हा ।

(ख) इस रिपोर्ट को लोक सभा की विशेषाधिकार समिति के सुपुर्द कर दिया गया है जो टेलीफोन टेप करने सबधी प्रश्न की जाच कर रही है ।

देश में महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड जैसे स्वायत्तशासी निगमों की प्रणाली का समाप्त किया जाना

700. डा रत्नाकर पाण्डेय : क्या संचार मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में "टेलीफोनो" और इसकी सम्बद्ध दूरसचार सेवाओ के लिए महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड जैसी स्वयत्तशासी निगम प्रणाली स्थापित करने की कुछ पूर्व योजनाओं को समाप्त करने का विचार रखती है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री और संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जयप्रकाश) : (क) और (ख) सरकार ने देश मे दूरसंचार संगठन के पुनगठन सबंधी पहलुओं पर विचार करने और वित्तीय विवक्षाओ आदि के साथ-साथ विकास एव प्रचलन सबधी आवश्यकताओ को मद्देनजर रखते हुए अत्यन्त उपयोगी सगठनात्मक ढाचे की सिफारिश करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है । समिति की रिपोर्ट मिल जाने के बाद इस सबध में उपर्युक्त निर्णय लिया जा सकेगा ।

दिल्ली में डाकतार विभाग के कर्मचारियों को आवास सुविधाएं

701. श्री विश्वासराव रामराव पाटिल : क्या संचार मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली मे डाक-तार विभाग के कर्मचारियो को आवास सुविधा प्रदान की जाती है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि संचार मंत्री द्वारा कर्मचारियो को बिना बारी के आवास आवटन की स्वीकृति दी जाती है ; और

(ग) यदि हां, तो 1 फरवरी 1990, से 30 नवम्बर, 1990 तक किए गए ऐसे आवटनो का ब्यौरा क्या है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री और संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जय प्रकाश) : (क) जी हा ।

(ख) जी हा ।

(ग) बिना बारी के आधार पर क्वार्टर अलाट करने सबधी 71 मामलों को मजूर किया गया था । 44 मामलों मे क्वार्टर अलाट कर दिए गए हैं और शेष मामलो मे क्वार्टर खाली होने पर क्वार्टर अलाट किए जाएगे । ब्यौरे का विवरण I और II मे दिए गए हैं ।